

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग,
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय, मध्य प्रदेश,
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर- 474002
amglhqrs.mp1.au@cag.gov.in

लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह प्रथम
जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा के दल क्र.03 का दौरा कार्यक्रम

श्री सुनील भार्गव, व.ले.प.अ.	श्री गौरव दीक्षित, स.ले.प.अ.	श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, स.ले.प.अ.
---------------------------------	---------------------------------	---

स.क्र	इकाई का नाम	कार्य दिवस	दिनांक
	प्रस्थान- रीवा		13.07.24(रात्रि)/14.07.24
01.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा	12	15.07.24 से 31.07.24
	प्रस्थान-		01.08.24
02.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 01 जनपद पंचायत, तथा 06 चयनित ग्राम पंचायत (जिला-रीवा)	20	02.08.24-03.09.24
	प्रस्थान-		04.09.24
03	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 01जनपद पंचायत, तथा 06 चयनित ग्राम पंचायत (जिला-रीवा)	19	05.09.24-04.10.24
	प्रस्थान-ग्वालियर		05.10.24

अवकाश- जूलाई- 06,07,13,14,17,20,21,27,28

अगस्त- 03,04,10,11,15,17,18,19,24,25,26,31 सितम्बर-01,07,08,14,15,

16,21,22,28,29 अक्टूबर: 02,05,06,12,13,17,19,20,26,27,31,

1.जिला केन्द्रित लेखापरीक्षा की अवधि 2021-22 से 23-24 तक (तीन वर्ष) होगी।

2.जनपद पंचायत का चयन दल द्वारा किया जाकर उसकी लेखापरीक्षा, इस कार्यालय द्वारा पूर्व में सम्पन्न की गयी लेखापरीक्षा अवधि से 03/24 तक किया जाना है।

3.चयनित इकाइयों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दल द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पृथक से तैयार कर मुख्यालय पर प्रस्तुत करना है साथ ही नियमित लेखापरीक्षा संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण करना है।

4.जिला निरीक्षण प्रतिवेदन के भाग-1 की जानकारी विभिन्न विभागों से एकत्रित करने हेतु लेखापरीक्षा दल को 10 अतिरिक्त कार्य दिवस दिये जाते हैं। दल अपनी सुगमता अनुसार जानकारी एकत्रित करने हेतु उपयोग कर सकता है।

5.एक ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा कार्य हेतु दल को प्रति ग्राम पंचायत 02 कार्य दिवस प्रदाय किये जाते हैं।

(प्राधिकार: उपमहालेखाकार लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-प्रथम के अनुमोदन से जारी)

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /मुख्यालय
लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-प्रथम

दिनांक :- 03/07/24

क्र/ए एम जी- 1/दौरा कार्यक्रम/570-4/325

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

- 1.सचिवालय/उप महालेखाकार ए.एम.जी.-1
2. व ले प अ / ए पी डी ए सी
3. दल के समस्त सदस्यों को अनुपालन हेतु ।
4. व.ले.प.अ. /आई.एस.विंग

3.7.24

SR Ayush

M - 126
03/7/24